159

संख्या– /XVIII(II)/2012–18(120)/2010

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 9 अगस्त, 2012

विषय–वन विभाग की अधिसूचना सं0–866/X–3–2011/8(21)/2010 दि0–28.9.2011 एवं शासनादेश सं0–883/X–3–2011/8(21)/2010 दि0–4.10.2011 के कम में पर्वतीय क्षेत्रों में चिन्हित व्यक्तियों को आवासीय एवं गौशाला प्रयोजन हेतु गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अंतर्गत सिविल सोयम भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्रकरण में अवगत कराना है कि वन विभाग की अधिसूचना सं0–866/X–3–2011/8(21)/2010 दि0–28.9.2011 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1878 की धारा 28 के अधीन जारी अधिसूचना सं0–869 एफ/630 दि0–17.10.1893 को विखण्डित करते हुए शासनादेश सं0–883/X –3–2011/8(21)/2010 दि0–4.10.2011 द्वारा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के शासनादेश दि0–17.3.1997 को भी संशोधित किया गया है जिसके अनुसार वर्तमान में जो भूमि शब्दकोष के अनुसार वन नहीं है, सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है एवं मौके पर वन स्वरूप नहीं है, उस पर वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे। इस प्रकार गैर जमींदारी विनाश भूमि की विभिन्न श्रेणियों [9(3)क एवं 9(3) ख को छोड़कर] की भूमि यदि मौके पर वन स्वरूप नहीं है तो वह रक्षित वन के स्तर की नहीं मानी जाएगी एवं अब वह वन भूमि नहीं है।

उपरोक्त शासनादेश दि0–17.3.1997 के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों, अन्य आवास विहीन परिवारों को आवास एवं गौशाला निर्माण हेतु जिलाधिकारियों के स्तर से पट्टे स्वीकृत किए जाने की प्रकिया में विराम लगा हुआ था। वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है जहां इन्दिरा आवास, दीन दयाल आवास योजना एवं अन्य बी0पी0एल0 परिवारों जिन्हें मकान बनाने हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है, आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि न होने के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

.....2

इस परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध गैर जमींदारी विनाश भूमि में से वह भूमि जो उपरोक्त शासनादेश दि0–4.10.2011 के अनुरूप वन भूमि नहीं है, को बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों, निर्बल वर्ग के भूमिहीन परिवारों के लिए तथा प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवारों को आवास स्थल के लिए व गौशाला प्रयोग हेतु 180 वर्ग गज भूमि का आवंटन जिलाधिकारी स्तर पर किये जाने की भी राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कर आवंटन प्रकिया की प्रगति से शासन को मासिक आधार पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0 2096 / समदिनांकित / 2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1206GO